झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या......13...... वर्ष 20..22..

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता शबनम स्वयं सहायता समूह, वैरियाचक, पं0-हनवारा, महागामा, गोड्डा।

DISPOSED 18/04/2022

बनाम

प्रतिवादी DSO, गोड्डा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
02/02/2022	आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएट्प नं0–9142622194 पर शिकायतकर्ता **शबनम स्वयं सहायता समूह वैरियाचक, पंचायत–हनवारा, प्रखाण्ड–महागामा, गोड्डा, दूरभाष सं0–8102963875** का शिकायत–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा ट्रांस्पोर्टर के विरूद्ध गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक अनाज लाने के क्रम में रास्ते में अनाज चोरी किये जाने का उल्लेख करते हुए इसकी शिकायत आयोग के समक्ष दर्ज की गई है। उक्त मामले में आयोग के पत्रांक–WA / 004 / 2021 दिनांक–28.12.2021 द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा से कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था। जिसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के बाद भी अप्राप्त रहा। आयोग द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–18.02.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को नोटिस निर्गत किया जाय। सुनवाई के दौरान नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र से ऑनलाईन V.C. के माध्यम से उपस्थित रहने हेतु शिकायतकर्ता को सूचित किया जाय। प्रतिलिपि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित किया जाय। Sd/- 2/2/2022 शिकायतकर्ता Whatsapp Video call के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। उन्हें सूचित कर दिया जाए। Sd/- 14/4/22	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश.doc20

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
18/02/2022	**आज दिनांक–18.02.2022 को केस संख्या–13/2022 एवं केस संख्या–12/2022 एवं केस संख्या–14/2022 एवं केस संख्या–15/2022 की सुनवाई की गई।** वादी के रूप में शिकायतकर्त्ता ऑनलाइन व्हाटसएट्प विडियो कॉल माध्यम से अनुपस्थित रहें। प्रतिवादी पक्ष कि ओर से श्री बासुदेव प्रसाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा ऑनलाइन व्हाटसएट्प कॉल के माध्यम से उपस्थित हुए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा चारो वादों कि सुनवाई की गईः– 1. रिता देवी, पति–देवनारायण भगत, पंचायत–चतरा, प्रखण्ड–पोरयाहाट, जिला–गोड्डा। 2. शबनम स्वयं सहायता समूह वैरियाचक, पंचायत–हनवारा, प्रखण्ड–महागामा, जिला–गोड्डा। 3. श्रीमती मर्शीलिना हेम्ब्रम, पति–स्व0 विनोद टुडू, साकिन/मोहल्ला–शांतिनगर, गोड्डा। 4. श्री दीपनारायाण साह, ग्राम–मुरादपुर, पंचायत–समरी, प्रखण्ड–महागामा, गोड्डा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा 5 मार्च तक सभी केसों/शिकायतों का निपटारा कर आयोग को सूचित करने हेतु समय की मांग की गई जिसपर आयोग ने सहमति जतायी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निदेश दिया गया कि 5 मार्च तक उपर्युक्त शिकायतों का निपटारा कर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध करा दें। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–09.03.2022 को निर्धारित की जाती है। 18.2.22 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। 18/2/2022 (हलधर महतो) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\Rachna\Dropbox\rachana\Court Notice.docx7

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–09.03.2022 को वाद सं0–13/2022 के मामले में सुनवाई की गई। अपीलकर्ता शबनम सहायता समूह अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित रहें। अपीलकर्ता शबनम सहायता समूह से मोबाईल नं0–8102963875 पर संपर्क करने पर किसी बच्ची ने फोन उठाया और कहा गया कि पापा घर पर नही है। चूँकि आज की सुनवाई की तिथि दिनांक–18.02.2022 को की गई सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी की सहमति से निर्धारित की गई थी जिसमे जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा ने यह भी कहा था कि दिनांक–05.03.2022 तक गोड्डा जिले के चारो चालू केश पर कार्रवाई कर प्रतिवेदन आयोग को दिनांक–05.03.2022 तक दे दिया जाएगा। उपरोक्त वाद के संबंध में कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को अबतक अप्राप्त है। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–29.03.2022 को निर्धारित की जाती है। उभय पक्ष को नोटिस भेजे। (डॉ0 रंजना कुमारी) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हलधर महतो) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 54

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–29.03.2022 को वाद सं0–13/2022 के मामले में सुनवाई की गई। अपीलकर्ता श्रीमती इसरत खातुन दूरभाष सं0–9939842008 के माध्यम से उपस्थित हुई। प्रतिवादी पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, श्री बासुदेव प्रसाद, गोड्डा न्यायालय कक्ष में उपस्थित हुए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि शबनम स्वयं सहायता समूह को Doorstep delivery (DSD) के तहत् दिये गए कम अनाज के बदले 2.10 क्विंटल अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। श्रीमती इसरत खातुन से इसकी पुष्टि दूरभाष के माध्यम से की गई। चूँकि झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 की धारा 28(V) के तहत इस पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कम दिए गए अनाज के आलोक में दण्ड अधिरोपित करना था जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि वे झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 की धारा 28(V) के तहत् कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से दिनांक–19.04.2022 तक सूचित करें। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को उपलब्ध कराई जाय। Haldhar Mahto (शबनम परवीन) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हलधर महतो) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
13.04.2022	जिला आपूर्ति पदा० गोड्डा के ज्ञापांक 504, दिनांक 08/04/2022 के आलोक में, चूंकि आदेश का अनुपालन हो चुका है; वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 13.04.2022	